"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 382] रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 अगस्त 2013—भाद्र 4, शक 1935

जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 04-02/2013/चौबीस.—छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ मीडिया कर्मियों को सम्मान निधि योजना के माध्यम से सम्मान निधि दिये जाने का निर्णय लिया गया है. उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कार्यपालक शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.**—
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि नियम, 2013 कहलाएंगे.

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

   (3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़;

   (ख) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़;

(ग) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(घ) "वरिष्ठ मीडिया कर्मी" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत तथा छत्तीसगढ़ राज्य में किसी पत्र पत्रिका या मीडिया चैनल के नियमित नियोजन से सेवानिवृत्त हो चुके हों.

3. **लागू होना :—** ये नियम समस्त मीडिया पर्सन, जो छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत तथा किसी पत्र पत्रिका या मीडिया चैनल के नियमित नियोजन से सेवानिवृत्त हो चुके हों, पर लागू होंगे.

4. **सम्मान निधि की राशि—**

(एक) सम्मान निधि की राशि रुपये 5000/- प्रतिमाह होगी.

(दो) संचालक, जनसम्पर्क द्वारा सम्मान निधि की राशि का भुगतान सम्मान निधि गृहिता को चेक/बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा.

5. **सम्मान निधि की अवधि—**सम्मान-निधि प्रारंभ में 5 वर्ष के लिए दी जायेगी तथा सम्मान-निधि स्वीकृति के 5 वर्ष पश्चात् उपर्युक्त नियम 7 (ज) में उल्लिखित समिति द्वारा सभी प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी तथा सम्मान-निधि आगे जारी रखने के बारे में अनुशंसा की जाएगी.

6. **सम्मान निधि की प्रभावशीलता—** छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत तथा छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी पत्र पत्रिका या मीडिया चैनल के नियमित नियोजन से सेवानिवृत्त हो चुके हों द्वारा मात्र आवेदन जमा करने का अर्थ यह नहीं होगा कि वह सम्मान निधि के लाभ हेतु पात्र है. जनसंपर्क संचालनालय द्वारा आवश्यक कार्यवाहियां पूर्ण करने के पश्चात् सम्मान निधि स्वीकृत करने संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर की तारीख से योजना प्रभावशील होगी.

7. **सम्मान निधि की पात्रता—**

(क) सम्मान-निधि ऐसे पूर्णकालिक अधिमान्य मीडिया कर्मी को प्रदान की जायेगी जो किसी दैनिक/साप्ताहिक समाचार-पत्र में कम से कम 20 वर्षों तक सवैतनिक कार्य करते रहे हों और उनकी आयु 01 जुलाई, 2013 की स्थिति में 62 वर्ष हो. पत्र-पत्रिका या मीडिया चैनल के नियमित नियोजन से वे सेवानिवृत्त हो चुके हों.

(ख) सम्मान-निधि केवल उन मीडिया कर्मियों को दी जायेगी, जिन्हें राज्य शासन से कोई पेंशन सम्मान निधि या अन्य नियमित सहायता प्राप्त नहीं हो रही है तथा वह आयकर-दाता नहीं हो.

(ग) यह पात्रता उन अधिमान्य मीडिया कर्मियों को होगी जो जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ से कम से कम 10 वर्ष अधिमान्य रहे हों.

(घ) एक पत्रकार को प्रतिमाह रुपये पांच हजार तक सम्मान-निधि की पात्रता होगी.

(ङ) अधिमान्य पत्रकार को बैंक में बचत खाता खुलवाना होगा जिससे उनके बैंक खाते में सम्मान धि की राशि जमा की जा सके.

(च) अधिमान्य मीडिया कर्मी पर किसी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए.

(छ) सम्मान-निधि की स्वीकृति के लिए संबंधित मीडिया कर्मी को विहित प्रपत्र में आवेदन तथा शप -पत्र संचालक, जनसम्पर्क को प्रस्तुत करना होगा.

(ज) सम्मान-निधि स्वीकृति हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, जनसम्पर्क की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय निर्णायक मण्डल का गठन किया जाएगा जिसके सदस्य, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, श्रम विभाग तथा संचालक, जनसम्पर्क निर्णायक मण्डल के पदेन सचिव होंगे. निर्णायक मण्डल प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर अनुशंसायें देगा. निर्णायक मण्डल की अनुशंसा मान्य करना शासन के लिए बंधनकारी नहीं होगा.

(झ) सम्मान-निधि की पात्रता स्वीकृति के बाद भी किसी भी समय समाप्त की जा सकती है. यदि लाभार्थी का आचरण पत्रकारिता (मीडिया) के मान्य सिद्धांतों, मानदण्डों के विपरीत पाया जाता है या उनके विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज होता है तो यह पात्रता समाप्त की जा सकेगी.

8. इस योजना के अंतर्गत पात्र वरिष्ठ-मीडिया कर्मियों को सम्मान निधि स्वीकृत कराने हेतु अनुषांगिक कार्यवाही, जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा की जायेगी.

9. राज्य सरकार इन नियमों में कोई भी आवश्यक परिवर्तन करने के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, उप-सचिव.

वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि हेतु आवेदन

प्रति,

संचालक, जनसंपर्क
रायपुर (छत्तीसगढ़)

महोदय,

राज्य शासन द्वारा प्रावधित नियमों के अंतर्गत मैं वरिष्ठ मिडिया कर्मी सम्मान निधि के लिए आवेदन कर रहा/रही/हूँ। मेरे संबंध में जानकारी अधोलिखित है :–

01 नाम ....

02 पिता का नाम ....

03 पता

04 फोन/मोबाइल नम्बर ....

05 ई मेल का पता ....

06 राष्ट्रीयता ....

07 जन्म तिथि (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) ....

08 62 वर्ष आयु पूरा करने की तिथि

09 जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा जारी अधिमान्यता का कमांक/ (छायाप्रति संलग्न करें)।

10 अधिमान्यता जारी होने की अवधि ....

11 क्या किसी अन्य माध्यम से कोई पेंशन प्राप्त कर रहे हैं? यदि हॉ, तो निम्नलिखित विवरण दें :–

(i) पेंशन राशि–

(ii) पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी/संस्था–

12 क्या कोई अन्य सम्मान निधि या कोई अन्य नियमित वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहें हैं? यदि हॉ तो उसके संबंध में निम्नलिखित विवरण दें :–

निरंतर...............2

(i) सम्मान निधि/नियमित वित्तीय सहायता की राशि ....

(ii) उक्त राशि मासिक, त्रैमासिक या अन्य किसी अंतराल पर प्राप्त हो रही है ....

(iii) स्वीकृतकर्ता अधिकारी/संस्था का नाम........

13 आयकर दाता न होने का शपथ–पत्र।

14 पत्रकारिता अथवा अनुषांगिक कार्यों से संबंधित विवरण, प्रमाण–पत्र सहित.......

15 बैंक का विवरण (जिसमें सम्मान निधि जमा होनी है)।

(अ) खाता नम्बर ....

(ब) बैंक का नाम ....

(स) शाखा का पता ....

16. और कोई विवरण/जानकारी यदि देना चाहें।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक ....

स्थान ....

संलग्न :–

01 अधिमान्यता पत्र की छायाप्रति।

02 आयु संबंधी प्रमाण–पत्र (जन्म तिथि के अधिकृत प्रमाण–पत्र की छायाप्रति/हायर सेकंडरी स्कूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति)। वैद्य पासपोर्ट की छायाप्रति अथवा नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र जो जन्म तिथि के प्रमाण पत्र विषयक हो।

03 स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित (attested) पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ।

04 स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित (PAN Card) की छायाप्रति।

05 पिछले वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

06 आयकर दाता नहीं होने का प्रमाण–पत्र।

शपथ पत्र का प्रारूप

मै .... पिता .... निवासी ....यह घोषणा करता हूॅ :–

(1) मैने 62 वर्ष की आयु वर्ष .... में ....दिनांक .... को पूरी करली है।

(2) मै विगत 20 वर्षो से पत्रकार के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश में निवासरत होकर कार्य कर रहा हूॅ।

(3) मैं छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश राज्य द्वारा अधिमान्य पत्रकार रहा हूॅ

(4) मै अन्य किसी माध्यम से कोई पेंशन/सम्मान निधि प्राप्त करता नहीं रहा हूॅ।

शपथकर्ता

मै Deponet उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता यह प्रमाणित करता हूॅ कि शपथ पत्र में दिए तथ्य पूर्णतः सही है।

.... को ....यह .... दिनॉक वर्ष 20............को प्रमाणित किया गया।

शपथकर्ता

नया रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 04-02/2013/चौबीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 अगस्त, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 26th August 2013

NOTIFICATION

No. F 04-02/2013/24.—In exercise of the Executive powers conferred by the Constitution of India, the Government of Chhattisgarh, hereby, decides to make following rules to provide Samman Nidhi to varishth media karmi of the State under Samman Nidhi Yojana, namely :—

RULES

1. **Short Title, Extent and Commencement-** (1) These rules shall be called the Chhattisgarh Varishth Media Karmi Samman Nidhi Niyam, 2013.

   (2) It extends to the whole of Chhattisgarh State.

   (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions-** In this Rules unless the context otherwise requires,-

   (a) "Commissioner"- means Commissioner, Directorate Public Relations, Chhattisgarh;

(b) "Director"- means Director, Directorate Public Relations, Chhattisgarh

(c) "Government"- means Government of Chhattisgarh;

(d) "Varishth Media-Karmi" means the person, who resides in Chhattisgarh state and has retired as regular employee of any newspaper, magazine or media channel.

3. **Applicability-** These rules shall be applied to all the media-karmi, who are residing and working in the State of Chhattisgarh and has retired as a regular employee of any newspaper, magazine or media channel.

4. **Amount of Samman Nidhi-**(1) The amount of Samman Nidhi shall be Rs. 5000/-per month.

(2) Director, Public Relations shall pay the amount sanctioned under 'Samman Nidhi' to beneficiary through/ cheque / banker's cheque/ demand draft/ or through any other transaction to bank account.

5. **Duration of Samman Nidhi-** Initially, Samman Nidhi shall be provided to the beneficiary for a period of 5 years from the date of its sanction. After completion of five years, the committee as mentioned in sub-rule (h) of Rule 7 shall review all the cases and accordingly recommend further continuation.

6. **Applicability of Samman Nidhi Yojana-** Mere submission of an application does not authorizes a person who resides in the State of Chhattisgarh and has retired as

a regular employee of any newspaper, magazine or media channel the right to avail benefits of Samman Nidhi Yojana. The scheme shall come into force only after the completion of necessary formalities by Directorate, Public Relations and from the date on which it has been signed.

7. Eligibility for Samman Nidhi-

a) Samman Nidhi shall be provided to those full-time accredited media karmi, who have rendered their services to any Daily/Weekly Newspaper as salaried employees, for at least 20 years and who are of 62 years of age as on 1 July, 2013, they should have retired as a regular staff of any newspaper, magazine or media channel.

b) Only those media karmi shall be made eligible for Samman Nidhi, who are not receiving any Pension Samman Nidhi or any other regular financial aid from the State Government. Moreover, he/she should not be an income-tax payee.

c) Only those media karmi shall be made eligible for Samman Nidhi who have been accredited by Directorate, Public Relations, Chhattisgarh for a minimum period of 10 years.

d) A eligible media-karmi shall be entitled for receiving Rs 5000 per month as Samman Nidhi.

e) Accredited media karmi shall open a Savings account in any bank so that the amount sanctioned under Samman Nidhi can be transferred to the bank account.

f) The accredited media karmi shall not have any criminal case lodged against him.

g) For sanction of Samman Nidhi, the media karmi concerned shall submit an application to Director, Public Relations, in prescribed form along with an affidavit.

h) For the purposes of sanction of Samman Nidhi, a high level committee of four members shall be constituted under the Chairmanship of Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Public Relations. The members of the committee shall be Secretary Department of Finance, Secretary Department of Labour and Ex-officio Secretary-Director Department of Public Relations. The committee shall finalize the selection of the applicants. However, the Government is not bound to accept all the recommendations given by the committee.

i) The eligibility for Samman Nidhi could be terminated at any time after its being approved; if in any case it is found that the conduct of beneficiary is against the ethics and standards of journalism or any criminal offence is registered against the beneficiary.

8. All the relevant actions for sanction of amount under Samman Nidhi to the eligible varishth media karmi under this scheme shall be taken by Directorate Public Relations.

9. State Government will be the competent authority to change or modify the rules as and when required.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
O. P. CHOUDHARY, Deputy Secretary.

Application for Varishth Media Karmi Samman Nidhi

To,

The Director,

Public Relations

Raipur (Chhattisgarh)

Respected Sir,

As per the rules framed by the State Government, I am applying for Varishth Media Karmi Samman Nidhi. Required details are as follows:-

1. Name
2. Father's Name
3. Address
4. Phone/Mobile Number
5. Email Address
6. Nationality
7. Date of Birth (enclose certificate)
8. Date of completion of 62 years of age
9. Accreditation number issued by Department of Public Relations, Chhattisgarh (enclose a copy)
10. Date of accreditation

11. Do you receive any pension from other sources? If yes, then furnish following details :-

1) Amount received as pension-

2) Officer/Organization sanctioning pension-

12. Do you receive any other Samman Nidhi or regular financial aid? If yes, provide following details :-

1) Amount received as Samman Nidhi/Regular Financial Aid-

2) Whether the said amount being sanctioned on monthly, quarterly or any other interval basis-

3) Name of sanctioning officer/organization-

13. Affidavit for being a non taxpayer-

14. Applicants details, certificates and works related to Journalism-

15. Bank Account Details (in which the Samman Nidhi amount has to credited)-

a) Account number-

b) Name of Bank-

c) Branch Address-

16. Other details/information you want to mention-

Signature of the applicant

Date ....

Place ....

Enclosures:-

1. Copy of Accreditation Letter.
2. Age-proof (copy of authorized certificate for age-proof/ copy of Higher Secondary School certificate), copy of valid passport or affidavit attested by notary with subject as age-proof.
3. Two self-attested passport-size photographs.
4. Self-attested copy of PAN card.
5. Copy of previous salary certificate.
6. Proof of being a non taxpayer.

FORMAT OF AFFIDAVIT

I .... son/daughter of .... resident of .... declares that :-

1. I have completed 62 years of age on day .... month .... year.......
2. I have been working as journalist since last 20 years in the State of Chhattisgarh.
3. I have been preferred as journalist by Government of Chhattisgarh/Madhya Pradesh.
4. I am not receiving any pension/Samman Nidhi from any other source.

Signature of Deponent

I, the undersigned deponent, declares that the aforementioned information is completely true.

The declarations have been certified on date.......... month........ year........

Signature of Deponent

f any newspaper, magazine or media